

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्रा0 वि0 अधिकारी/टैग अधिकारी/ई-मित्र आदि के माध्यम से)

ग्राम पंचायत. पंचायत समिति.....

प्रार्थी का वर्ग(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य)
(परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवास किया जावे)आवेदक का फोटो
आवेदक द्वारा
प्रमाणित

(पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक..... दिनांक क्र.सं. के क्रम में)

(पात्रता:- सैक-2021 के आधार पर तैयार की गई वरियता सूची, जिन्होंने पूर्व में किसी भी योजनान्तर्गत आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है)

- आवेदक का नाम- श्री/श्रीमती/सुश्री
- पति/पिता का नाम
- PWL-2021 की वरीयता सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नाम आवेदक के परिवार के मुखिया से सम्बन्ध
- (I) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) (II) जॉब कार्ड नं०
(III)एसबीएम आईडी नं० (IV) जनाधार नं.....
- आवेदक का PWL-2021 के अनुसार वरीयता क्रमांक
- आवेदक (यदि दिव्यांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- पूर्ण पता (मौहल्ला/डाणी/मगरा)
- ग्राम ग्रा. पं. पोस्ट पं.स. जिला
- प्रार्थी का मोबाइल नं..... (स्वयं का मो० नहीं होने पर पड़ोसी/रिश्तेदार का मो. नं०
- पट्टा धारक का पूरा नाम
- यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि(कृषि भूमि/आबादी भूमि का ब्यौरा :-
- प्रस्तावित जमीन - चारागाह/जोहड पायतान/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं है।
- सीबीएस आधारित बैंक का खाता संख्या शाखा आईएफएससी कोड..... (पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें।)
- मैं/मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, व वर्तमान में पक्का मकान नहीं है एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं है :-
 - मोटर साईकिल तिपहिया/चौपहिया वाहन होने पर - नहीं है।
 - मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर - नहीं है।
 - किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर - नहीं है।
 - परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी - नहीं है।
 - परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजिकृत होने पर - नहीं है।
 - परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 15 हजार प्रति माह या अधिक होने पर - नहीं है।
 - इन्कम टैक्स दाता होने पर - नहीं देता हूँ।
 - व्यवसायिक करदाता होने पर - नहीं देता हूँ।
 - स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होने पर - नहीं है।
 - स्वयं की 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होने पर - नहीं है।
- सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन आवास निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था में अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।
संलग्न :- (1) सीबीएस बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
(2) प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
(3) दिव्यांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)

हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम

सम्पूर्ण आवेदन ग्राम विकास अधिकारी/ई-मित्र/टैग अधिकारी/पंचायत समिति को प्रस्तुत करने की दिनांक

-: प्राप्ति रसीद :-

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्री/पुत्र/पत्नि/श्री ग्रा.पं. का प्रधानमंत्री आवास
योजना-ग्रामीण हेतु आवेदन(प्रपत्र-1) मय फोटो एवं संलग्न विवरण दिनांक को प्राप्त किया ।

नोट :- उक्त आवेदन पत्र सीएससी/ई-मित्र केन्द्र, टैग अधिकारी, कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति में से किसी भी एक जगह जमा कराया जा सकेगा।
शिकायत/समस्या हेतु/ पंचायत समिति/जिला परिषद कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय मोबा. नं. 9118057308 whatsapp/sms/phone करें।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

प्रपत्र-24(1/1)

प्रपत्र-1(ब) नवीन आवास हेतु स्वीकृति

ग्राम विकास अधिकारी अथवा आवास हेतु नियुक्त टैग अधिकारी (पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी, एईएन,जेईएन,जेटीए, ग्राम रोजगार सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी) द्वारा आवास स्वीकृति हेतु प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/सुश्री पत्नि/पिता/पुत्री वर्ग(अनु.जाति/अनु.जनजाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य) का नाम PWL-2021 वरीयता सूची क्रमांक पर दर्ज है। सीबीएस आधारित बैंक खाता संख्या (बैंक) शाखा में है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक कोई पक्का आवास नहीं है। पूर्व में किसी भी राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है साथ ही बिन्दु संख्या 14 में अंकित समस्त शर्तों का सत्यापन कर लिया गया है। प्रार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पात्र है। आवेदन मय फोटो एवं संलग्न दस्तावेजों की एक-एक फोटो प्रति ग्राम पंचायत की पत्रावली में रख ली है एवं ग्राम पंचायत के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर क्र.स. पर नाम दर्ज कर लिया है। फोटो सहित मूल आवेदन(प्रपत्र-1) एवं संलग्न दस्तावेजा को पंचायत समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है। आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित जमीन चारागाह/जोहड, पायतन/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थान नहीं है। प्रार्थी का फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते हैं।

भूमिहीन पात्र लाभार्थियों की स्वीकृती जारी कर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
अपात्र के लिए लाल स्याही से मोटे अक्षरों में नोट अंकित कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करें।

हस्ताक्षर टैग अधिकारी

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी

(पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी,एईएन,जेईएन,जेटीए,ग्राम रोजगार सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी)

(नाम)
सील

कार्यालय पंचायत समिति

श्री/श्रीमती पिता/पति जाति..... वर्ग..... निवासी
ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला..... PWL-2021
वरीयता सूची क्रमांक के आवेदन पत्र एवं ग्राम विकास अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट, मूल आवेदन (प्रपत्र-1) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार पर योजना के अन्तर्गत राशि रु की अनुदान सहायता की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर Registration कर दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली में रख लिये गये हैं एवं पंचायत समिति के रिकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज कर लिया है।

क्रमांक:/दिनांक

विकास अधिकारी
पं. स.....

नोट :-

1. आवेदक के अपात्र पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त कर आवेदक को सूचित किया जावेगा।
2. पंचायत समिति द्वारा स्वीकृति के साथ महात्मा गांधी नरेगा की मस्टरोल जारी की जावेगी एवं कार्य शुरू करने के पश्चात प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि के तत्काल बाद न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण कार्य अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा।

शपथ— पत्र

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री जाति वार्ड
निवासी ग्राम पंचायत पंचायत समिति—.....
तहसील—....., जिला—....., राज्य—राजस्थान का/की निवासी हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि पंचायत समिति, की प्रशासनिक स्वीकृति संख्या दिनांक द्वारा मेरे नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में आवास स्वीकृत हुआ है।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त स्वीकृत आवास हेतु मेरे द्वारा आवेदन पत्र क्रम संख्या 14 के बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के बिन्दुओं में वर्णित निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

1	मोटर चलित तिपहिया/चौपहिया वाहन	नहीं हैं।
2	मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण	नहीं हैं।
3	किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक	नहीं हैं।
4	परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी	नहीं हैं।
5	परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत	नहीं हैं।
6	परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 15 हजार प्रति माह से अधिक	नहीं हैं।
7	आयकरदाता	नहीं देता हूँ।
8	व्यावसायिक कर	नहीं देता हूँ।
9	स्वयं की 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि	नहीं हैं।
10	स्वयं की 5 एकड या अधिक असिंचित भूमि	नहीं हैं।

3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 02 के बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के सम्बन्ध में कोई जानकारी छिपाने के कारण उक्त प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में स्वीकृत आवास निरस्त करने का अधिकार यथास्थिति ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्/राज्य सरकार/न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा तथा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में, मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावेदार नहीं होऊंगा एवं तथ्य छिपाकर लाभ प्राप्त करने के दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि दण्डनीय ब्याज के, मुझ प्रार्थी से वसूली योग्य होगी।
4. यह है कि मैंने शपथ—पत्र की मद संख्या 01 से 03 को अपने जाति इल्म व यकीन से सही—सही व बिना किसी नशे पते के होश—हवास में सत्य लिखवाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर साक्षी

आवेदक का हस्ताक्षर/अगुंठा निशाना

भुमि संबंधित प्रमाण पत्र

प्रार्थी(आवास लाभार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि
..... निवासी राजस्व गांव..... पटवार हल्का का नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वरियता सुची में नाम है। इनके भुमि संबंधित
रिपोर्ट निम्नानुसार है—

प्रार्थी का खसरा नम्बर.

1. प्रार्थी के स्वयं के नाम जमीन एकड़
2. प्रार्थी के पति/पत्नि के स्वयं के नाम एवं
नोशनल शेअर अनुसार हिस्सा एकड़
3. प्रार्थी के पिता/पति/दादा/दादी
के नाम जमीन में प्रार्थी एवं प्रार्थी के
पति/पत्नि का हिस्सा एकड़

कुल जमीन जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के पति/
पत्नि का हिस्सा एकड़

नोट:— उपर दी गई रिपोर्ट के अलावा प्रार्थी के स्वयं या पति/पत्नि के इस
पटवार हल्का में कोई जमीन में हिस्सा नहीं आता है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पटवारी के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2024-25

मैं श्री/श्रीमती पत्नि/पुत्र
जातिनिवासी ग्राम ग्राम पंचायत
तहसील जिला(राज0) की/का मूल निवासी हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है पूर्व में मैंने आवास योजना में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैं आवास का निर्माण जिस जगह पर करूंगा/करूंगी वह मेरी स्वयं की पैतृक/खरीद शुदा/कृषि भूमि है और यह भूमि सरकारी/चारागाह/वन विभाग/नदी-नाला/पहाड आदि की भूमि नहीं हैं इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मेरे द्वारा निर्धारित समय (एक वर्ष) में ही आवास निर्माण कर लिया जावेगा तथा प्राप्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण में ही करूंगा/करूंगी तथा मेरे पास वर्तमान में कच्चा आवास है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरा उपरोक्त बयान हल्फी सं0 1 से 4 तक सही व सत्य है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

MORD

CONSENT FORM

I (Name), PMAY (G) ID No.
Aadhar No. Hereby give my consent to
Implementing Department govemnt
of and department of rural development .
Government of india , for using my aadhar no. to establish and Authenticate my
idrnity under PMAY (G) Scheme .

Signature/Thumb impression

Name :

Date :

Identified By

(Signature)

Name :

Designation/Address

सहमति-पत्र

मैं पुत्र श्री..... निवासी
सहमति प्रदान करता हूँ कि मेरे पुत्र श्री को प्रधानमंत्री आवास
योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष..... में स्वीकृत हुआ है। इस आवास को मेरे
खसरा नम्बररकबा में निर्माण की अनुमति/सहमति देता हूँ।
यदि आवास निर्माण के समय किसी भी प्रकार की राजकीय समस्या होने पर मैं
स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर सहमतिकर्ता

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति.....

दिनांक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(आबादी भूमि में पट्टा जारी नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आबादी भूमि में भूमि स्थित होने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री
..... जाति आयु वर्ष, वार्ड नम्बर
ग्राम ग्राम पंचायत तहसील का स्थाई निवासी
है। ये ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में निवास करते हैं। तथा उक्त भूमि में यदि आवेदक
प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नियमानुसार करते हैं तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

RJ-

सहमति-पत्र

मैं (नाम) जॉब कार्ड नम्बर.....
धारक आधार नम्बर कार्यकारी विभाग, राजस्थान सरकार एवं ग्रामीण
विकास विभाग, भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत मेरी उपस्थिति
एवं पहचान के लिए सहमति दे रहा हूँ।

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

नाम

दिनांक

पहचानकर्ता द्वारा सत्यापन

हस्ताक्षर मय मोहर

नाम

पद

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति,जिला-बाड़मेर

—:: चैक लिस्ट ::—

1	रजिस्ट्रेशन फॉर्म वरीयता अनुसार (पूर्ण भरा हुआ, फोटो प्रमाणित)।	
2	जमीन से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	
3	ग्राम पंचायत के आबादी भूमि में रहवासी होने का प्रमाण-पत्र (सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी)।	
4	जॉब कार्ड की प्रमाणित प्रति (दोनों तरफ)।	
5	जन आधार की प्रमाणित प्रति (दोनों तरफ)।	
6	राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति (दोनों तरफ)।	
7	आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति (दोनों तरफ)।	
8	प्रार्थी स्वयं की बैंक खाता संख्या की छाया प्रति।	
9	समस्त दस्तावेज ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित (नाम वाली सील)।	
10	शपथ पत्र	
11	भूमि संबंधी प्रमाण पत्र (संयुक्त होने पर सहमति-पत्र)।	
12	CONSENT FORM	
13	आवास सहमति प्रमाण पत्र	
14	आधार कार्ड सहमति प्रमाण पत्र	
15	योग्यता निर्धारण शपथ पत्र	
16	जियो टैग फोटो कार्यस्थल एवं प्रस्तावित का	

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत

सरपंच

ग्राम पंचायत